ोन का लक्ष्य बढ़कर हो
्र 19 लाख करोड़ रुपये

करने के
ा लक्ष्य
्र करोड़
। अगले
जाएगा।
लक्ष्य 15
लिये हर
बार भी
9 लाख
निर्मला
कहा था,
वित्तीय
क्रय रहे
बैंक)
ा। वित्त
5 लाख
ल-दर-
वितरण

उससे अधिक ही रहा है। उदाहरण के लिये 2017-18 में किसानों को 11.68 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया जबकि लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये का ही था। इसी प्रकार, 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये फसल ऋण वितरित किये गये। यह नौ लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से कहीं अधिक था।

सूत्रों के अनुसार, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कर्ज जरूरी है। संस्थागत स्रोतों से कर्ज सुलभ होने पर किसानों को महाजनों और सूदखोर जैसे गैर-संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अधिक ब्याज नहीं चुकाना पड़ता।

सामान्य रूप से कृषि ऋण पर ब्याज 9 प्रतिशत रहता है लेकिन सरकार ब्याज सहायता उपलब्ध कराती है ताकि अल्पकाल के लिये खेती के लिये ऋण सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध हो और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले। सरकार किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध कराती है ताकि उन्हें छोटी अवधि के लिये 3 लाख रुपये तक का कर्ज प्रभावी रूप से 7 प्रतिशत ब्याज पर मिल सके। इसके अलावा तीन प्रतिशत की सहायता उन किसानों को दी जाती है जो कर्ज का भुगतान समय पर करते हैं। इससे प्रभावी रूप से ब्याज 4 प्रतिशत बैठता है।

डिजिटल बदलाव पर अधिक ध्यान दे रही कंपनियां ज्यादा रोजगार सृजन कर रही हैं: अध्ययन

नयी दिल्ली/दावोस/एजेंसी। कोविड-19 महामारी ने कंपनियों को तेजी से डिजिटलीकरण करने की जरूरत को महसूस कराया और जो कंपनियां अधिक डिजिटलीकरण कर रही हैं, वे ज्यादा रोजगार सृजित कर रही हैं। एक अध्ययन में मंगलवार को यह बात कही गयी।

श्रमबल को लेकर समाधान मुहैया कराने वाले मैनपावर समूह ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के आभासी दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में एक सर्वेक्षण जारी किया। उसने कहा कि डिजिटलीकरण व कौशल पर कोविड-19 के प्रभाव को लेकर उसके नये अध्ययन में तीन नए रुझान उभरे है। ये रुझान हैं- 'नवीकरण, नया कौशल और नयी नियुक्ति'। मैनपावर समूह ने बताया कि उसने 40 से अधिक देशों के 26 हजार से ज्यादा नियोक्ताओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया है। उसने कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 38 प्रतिशत कंपनियां डिजिटलीकरण तेज कर रही हैं। केवल 17 प्रतिशत ने कहा कि उनकी योजना फिलहाल इसे रोकने की है। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि जो नियोक्ता डिजिटलीकरण की योजना पर काम कर रहे हैं, वे कर्मचारियों की संख्या बरकरार रखने या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। डिजिटलीकरण की योजना पर काम कर रही कंपनियों में से 86 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जा रही हैं। इसके विपरीत महज 11 प्रतिशत नियोक्ता ही छंटनी करने या स्वचालन की योजना को रोकने पर विचार कर रहे हैं।

एमएसपी पर अब तक 1.10 लाख करोड़ रुपये के धान की खरीद

नयी दिल्ली/एजेंसी। सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 1,10,130.52 करोड़ रुपये के 583.31 लाख टन धान की खरीद की है।खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ''खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 में, सरकार एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद करना जारी रखे है।''

केंद्र ने 25 जनवरी तक 583.31 लाख टन धान की खरीद की है, जो एक साल पहले की अवधि में 483.92 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.53 प्रतिशत अधिक है।

बयान में कहा गया है, ''1,10,130.52 करोड़ के साथ रुपये की सरकारी खरीद से लगभग 84.06 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।'' धान की अब तक 583.31 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब का योगदान 202.77 लाख टन है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-10/2021/डी-129 विज्ञप्ति दिनांक: 22/01/2021

निजी खातेदारी की योजना सावित्री रेजीडेंसी, ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 34 क्षेत्रफल 183.33 व.ग. की लीजडीड श्रीमती साधना आनन्द सिंघल को दिनांक 20.12.12 को जारी की गई थी तत्पश्चात लीजडीडधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचना जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से पेरेनियल रियल एस्टेट जरिये निदेशक राजकुमार कन्दोई पुत्र श्री मांगीलाल कन्दोई को दिनांक 19.06.15 को किया गया है। तत्पश्चात पेरेनियल रियल एस्टेट जरिये निदेशक राजकुमार कन्दोई पुत्र श्री मांगीलाल कन्दोई द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से एकता मीना पत्नी श्री सतीश चन्द मीना को दिनांक 14.12.2020 को किया गया है। प्रार्थिया श्रीमती एकता मीना पत्नी श्री सतीश चन्द मीना द्वारा उक्त भूमि के नाम हस्तानान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान को नाम हस्तान्तरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में उपायुक्त-10, जविप्रा, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

- उपायुक्त (जोन-10) जविप्रा, जयपुर।

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 • फोन : 9214018877
CIN: L45201RJ1995PLC010646 • E. : bfldevelopers@gmail.com • W.: www.bflfin.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार 4 फरवरी, 2021 को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 (राजस्थान) में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bflfin.com और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड
सीएस सुरभि रावत
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (M.No. A49694)

दिनांक : जनवरी 27, 2021
स्थान : जयपुर

सार्वजनिक सूचना कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्र.- एफ-06( ) उपा.राज. द्वि/न.नि.ज./2020/191 दिनांक-27.01.2021

मूल भूखण्ड सं. ई- 71, सी-स्कीम, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से आवंटन कर जयपुर सरकार के प्रधान सेकेंट्री द्वारा क्षेत्रफल 733.33 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, वसीयतनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र श्री एच.के. गुप्ता के नाम से जारी किया गया। आवेदक श्री विवेक गुप्ता द्वारा प्रस्तुत नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत बाबत् अण्डरटेकिंग, वसीयत के गवाहों के शपथ पत्र, निर्धारित अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम, जयपुर द्वारा श्री विवेक गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरी किशन गुप्ता के पक्ष में क्षेत्रफल 733.33 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा एवं नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होता विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, विधिवत नियमानुसार पत्रावली नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व- द्वितीय), हैरिटेज नगर निगम, जयपुर